पक्ष :— मृत्युदंड के समर्थकों का तर्क है कि मानव जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है और निर्दोष की रक्षा करना समाज और कानून का औचित्य ही नहीं बल्कि उनका कर्तव्य भी है। निर्दोषों की रक्षा का एक तरीका यह है कि जघन्य अपराध के आरोपियों को ऐसी सजा मिले जो दूसरों के लिए उदाहरण हो जिससे समाज में भय पैदा हो और जिसके डर से अन्य लोग भी अपराध करने से डरें। ये सब मृत्युदंड से ही संभव है और इसी-लिए कुछ विचारक मृत्युदण्ड का समर्थन करते हैं जो इस प्रकार है—

सामाजिक दृष्टि से भी मृत्युदण्ड आवश्यक माना जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे जघन्य कर्म करते हैं जिन्हें रोक पाना सामाजिक व्यवस्था और उन्नति के लिए आवश्यक है। अतः मृत्युदण्ड अन्य लोगों में भय का संचार करता है जिससे वे वैसे कर्म करने से डरते हैं और अपराध में कमी आ सकती है। मृत्युदण्ड वास्तव में अन्य प्रकार के दण्डों की अपेक्षा कम कष्टदायक है क्योंकि जब कारावास में रहकर व्यक्ति जिस कष्ट को सहन करता है उससे अपेक्षाकृत कम कष्ट है एक बार में ही मृत्युदण्ड द्वारा कष्टों से मुक्त हो जाए। मृत्युदण्ड मिलने से अन्य व्यक्तियों में अपराध की क्षमता में कमी आती है। मृत्युदण्ड के समर्थकों का यह मानना है कि मृत्युदण्ड से ही समाज विरोधी तत्वों को सदैव के लिए समाप्त किया जा सकता है यदि मृत्युदण्ड के स्थान पर अपराधियों को केवल कारावास की सजा दी जाए तो जेल में छूटने पर उनमें बदले की भावना उभरती है तब वे समाज के लिए और भी खतरनाक बन जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए मृत्युदण्ड उचित माना जाता है। मृत्युदण्ड जैसी व्यवस्था के कारण समाज में अपराधियों की संख्या में कमी आती है और अपराधी प्रवृत्ति पर भी नियंत्रण लगाया जा सकता है।

कुछ विचारकों ने मृत्युदण्ड को नैतिक दृष्टिकोण से उचित माना है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने

कर्मों के लिए उत्तरदायी होता है उसके कर्म फल उसके पारिश्रमिक है अतः उसे पाना उसके लिए न्यायोचित है। मृत्युदण्ड के समर्थन में प्रतिकारवादी से लेकर उपयोगितावादी तर्क तक दिये जाते रहे हैं। प्रतिकारवादी तर्क मुख्यतः प्रतिशोध से संचालित होता है। इसके अनुसार अपराधी ने जघन्य अपराध करके स्वयं को मृत्युदण्ड का भागी बनाया है। इसके मूल में यह तर्क है कि दण्ड अपराध के अनुपात में दिया जाना चाहिये क्योंकि जघन्य अपराध के लिए कमतर सजा तार्किक रूप से होरे अपराध, जघन्य अपराध, भूलवश हुए अपराध और पूर्वनियोजित अपराध के मध्य के अंतर को समाप्त कर देती है जिसके परिणामस्वरूप समाज का कानून व्यवस्था पर विश्वास प्रभावित होता है।

इसी से जुड़ा कांट का भी स्वतंत्र संकल्प का सिद्धांत है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति संकल्प स्वतंत्र से युक्त है एवं वह जानता है कि समाज के पक्ष में वह किस तरह के निर्णय लेता है इस सिद्धांत में यह बात निहित है कि समाज में हत्या जैसे जघन्य अपराध करनेवाला व्यक्ति समाज से भी मृत्युदंड जैसे निर्णय की ही अपेक्षा कर सकता है। मृत्युदंड के पक्ष में एक तर्क, जिसे जापानी मनोविश्लेषकों द्वारा आधिकारिक तौर पर पोषित माना जाता है, यह है कि इससे समाज में यह धारणा पुष्ट होती है कि बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अंततः अच्छा ही होता है। तमाम सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे समाज में यह सिद्धांत व्यक्ति को सकारात्मक जीवन बनाता है। प्रबोधनवाद से जुड़े 17 वी शताब्दी के प्रमुख दार्शनिक जॉन लॉक ने भी मृत्युदण्ड के पक्ष में यह तर्क दिया है कि व्यक्ति के पास जो प्राकृतिक अधिकार हैं, वे तभी तक हैं जब तक वह राज्य के नियमों व दायित्वों का निर्वाह करता है। चूंकि जीवन का अधिकार भी इन्हीं में से एक है, इसीलिये कानून के अंतर्गत मृत्युदण्ड दिया जाना जायज है।